

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 184/2014/सिरोही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-चतुर्थ, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रताप डीजल्स प्रा० लिमिटेड,
बी-22, शिवाजी कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 18/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 179/अपील्स-तृतीय/12-13/क में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.07.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-षष्ठम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 के लिये वैट अधिनियम की धारा 26 एवं 33 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.2012 एवं 12.07.2012 को अपास्त कर अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि -

(1) व्यवहारी का वर्ष 2003-04 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.03.2006 को पारित किया गया था, जिसमें Trading Account में दर्शाई गई खरीद बिक्री अनुसार कर निर्धारण किया गया था।

(2) उक्त कर निर्धारण की ऑडिट पर यह आक्षेप किया गया कि प्रस्तुत Trading Account के खरीद राशि अधिक एवं विक्रय राशि कम होना प्रदर्शित होने से अन्तर राशि रुपये 26,54,733/- पर 13.80 प्रतिशत कर आरोपित किया जावे।

(3) उक्त ऑडिट आक्षेप के निस्तारण में पूर्व पारित आदेश दिनांक 21.03.2006 को अधिनियम 1994 एवं वैट अधिनियम की धारा क्रमशः 30 एवं 26 में Reopen कर आक्षेप अनुसार कर एवं ब्याज आरोपित कर आदेश दिनांक 05.03.2012 को पारित कर दिया गया।

लगातार.....2




(4) अधिनियम की धारा 26 एवं 30 के तहत पारित आदेश को संशोधन करने हेतु अपीलार्थी द्वारा पत्र दिया गया एवं बताया कि जो क्रय-विक्रय का अन्तर बताकर आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से संशोधनीय है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन को दिनांक 12.07.2012 से खारिज कर दिया। उक्त संशोधन प्रार्थना-पत्र में दो बिन्दु थे कि reopen हेतु जारी प्रथम नोटिस दिनांक 28.03.2011 को दिया गया था वह Time Barred था एवं दूसरा कि जो ऑडिट आक्षेप से खरीद बिक्री में अन्तर बताया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उनकी बिक्री, खरीद से कम नहीं है बल्कि खरीद एवं क्लोजिंग स्टॉक के दृष्टिगत सही थी। व्यवहारी के संशोधन प्रार्थना पत्र में time limit के प्रश्न को इस आधार पर खारिज किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने reopen हेतु प्रथम नोटिस दिनांक 14.11.2006 को दे दिया था जिसमें सुनवाई तारीख 05.12.2006 थी एवं उसके बाद पुनः 30.03.2011 के लिये नोटिस जारी किया गया था व दिनांक 05.03.2012 को समयावधि अर्थात् 8 वर्ष के भीतर (जो 31.03.2012 तक प्राप्त थी) में पारित कर दिया था। इसके अलावा तथ्यों के बिन्दु पर संशोधन करने से इसलिए इन्कार किया कि जो आदेश दिनांक 05.03.2012 का किया है, वह सुविचारित है एवं अन्य कोई issue उठाये जाते हैं तो वे अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान इस पर आकर्षित नहीं होते।

(5) उक्त तथ्यों के अधीन धारा 26/30 के तहत पारित आदेश 5.3.2012 एवं संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दिनांक 12.7.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गयी है कि वर्ष 2003-04 के कर निर्धारण आदेश को रि-ओपन करने हेतु नोटिस जारी करने की समयावधि दिनांक 31.03.2009 तक ही थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 26 में प्रथम नोटिस दिनांक 30.03.2011 को दिया था, जो धारा 26(3) में विहित अवधि पांच साल गुजरने के बाद दिया गया है जो सात साल बाद है अतः दिनांक 05.03.2012 को पारित किया गया कर निर्धारण आदेश अवधिपार होने से अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. राजस्व की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा समयावधि के बिन्दु पर Barred by time मानकर जो कर निर्धारण आदेश अपास्त किये हैं वे विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2003-04 के कर निर्धारण आदेश को reopen करने हेतु अधिनियम, 1994 की धारा 30 एवं वैट अधिनियम की धारा 26 के तहत reopen करने हेतु प्रथम नोटिस दिनांक 14.11.2006 को जारी कर दिया गया था जो समयावधि में था।



लगातार.....3



5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।
6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
7. अपीलीय आदेश के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को साक्ष्य देने हेतु किये गये पत्राचार का भी अवलोकन किया गया उससे यह जाहिर है कि वर्ष 2003-04 के प्रकरण को रि-ओपन करने सम्बन्धी नोटिस 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31.03.2009 तक जारी नहीं किया गया था। पत्रावली पर एक पृष्ठीय पृथक आदेश पत्र दिनांक 14.11.2006 भी उपलब्ध है जिसमें वर्ष 2003-04 के पुनः कर निर्धारण हेतु दिनांक 05.12.2006 का सम्मन जारी करने के निर्देश सहायक आयुक्त ने दिये हैं परन्तु इन निर्देशों के अनुसार नोटिस जारी नहीं किया गया एवं उसके बाद एक नये आदेश पत्र में पुनः दिनांक 08.03.2011 को वैंट अधिनियम की धारा 26 में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया तथा दिनांक 05.03.2012 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। इन तथ्यों के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात विवादित आदेश अवधिपार नोटिस के आधार पर किये जाने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि अधिनियम की धारा 26 में पुनः कर निर्धारण आदेश के लिये नोटिस जारी करने की समयवधि सब-क्लॉज (3) में पांच वर्ष विहित की हुई है। इस सम्बन्ध में धारा 26 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

26. Escaped assessment.-

(1) An assessment -

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

लगातार.....4






Explanation.— The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

- (2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.
- (3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.
- (4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा Time Limit में नोटिस जारी करने सम्बन्धी कर निर्धारण अधिकारी के कथन पर कर निर्धारण अधिकारी को पत्र प्रेषित कर यह अवसर दिया कि उस नोटिस की प्रति या नोटिस तामील करने का साक्ष्य बताये जो नोटिस दिनांक 14.11.2006 को जारी करना बताया जा रहा था। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि एकमात्र जारी कथित नोटिस दिनांक 14.11.2006 के बाद सीधे 5 वर्ष गुजरने के बाद दिनांक 25.03.2011 के लिये दूसरा नोटिस जारी किया गया था। इस जांच पड़ताल में कर निर्धारण अधिकारी कथित नोटिस दिनांक 14.11.2006 की प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। जांच में यह भी सिद्ध पाया कि दिनांक 05.12.2006 की सुनवाई तिथि के बाद सीधे दिनांक 25.3.2011 को दूसरा नोटिस जारी किया गया जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्रावली की जांच करने के बाद एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा नोटिस देने के साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर समयावधिपार आदेश को अपास्त किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुकूल होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

9. इस प्रकरण में चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा गुणावगुण पर कोई निर्णय नहीं दिया है अतः न्यायिक दृष्टि से उस पर भी विचार किया गया। मेरे द्वारा उसका परीक्षण करने पर पाया कि वास्तविक रूप से जो कर निर्धारण प्रथम बार दिनांक 21.03.2006 को पारित किया गया था वो पूर्णतया विधिक था एवं उसे



लगातार.....5

reopen करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑडिट दल द्वारा यह आक्षेप किया गया था कि व्यवहारी के ट्रेडिंग अकाउंट के प्रथम दृष्टया अवलोकन से खरीद राशि अधिक है एवं विक्रय राशि कम होने से कुछ माल बिना बिल विक्रय किया गया है अतः उतने अन्तर पर कर लगाने की सलाह दी। इस आक्षेप पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में अपीलार्थी ने लेखों का पूर्ण विवरण पेश कर स्पष्ट कर दिया था कि वास्तव में यह आक्षेप गलत है एवं खरीद, माल वापसी एवं विक्रय के आंकड़े पेश कर कम बिक्री होने का संशय दूर कर दिया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने केवल आडिट के भय से सीधे आदेश पारित कर मांग सृजित कर दी, जबकि तथ्यात्मक रूप से वास्तव में बिक्री कम नहीं थी परन्तु बिना श्रम किये कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के विरुद्ध मांग का बोझ रख दिया।


10. इसके बाद पुनः व्यवसायी ने कर निर्धारण अधिकारी को संशोधन प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया कि अब्बल तो उनका आदेश time barred है साथ ही तथ्यात्मक रूप से गलत आक्षेप को मानकर एवं ट्रेडिंग अकाउंट के परीक्षण के बिना ही आदेश पारित कर दिया है वह संशोधन करने का श्रम करें, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः अपने उदासीन रवैये से अविधिक आदेश पारित कर संशोधन प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया, जबकि व्यवसायी की प्रार्थना पर तनिक मात्र भी ध्यान कर निर्धारण अधिकारी ने दिया होता तो वास्तव में ऐसा अवधिपार आदेश पारित करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से स्पष्ट था कि व्यवसायी के ट्रेडिंग अकाउंट से जो ऑडिट दल ने आक्षेप लगाया है वह ही गलत था जिसे व्यवहारी द्वारा पूर्ण विवरण के साथ दिया गया था।

11. प्रकरण में मेरे द्वारा गुणावगुण पर उक्त विवेचन इसलिए किया गया है कि प्रथम स्तर पर ही यदि कर निर्धारण अधिकारी अपनी बुद्धिमता का उपयोग करते एवं ऑडिट दल के आक्षेप से भयभीत नहीं होते तो वे ऐसा "time barred" आदेश पारित ही नहीं करते एवं न ही व्यवसायी को इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ती एवं न ही विभाग को इस तरह बेवजह का समय और श्रम नष्ट करना होता।

12. उक्त टिप्पणी के साथ कर निर्धारण अधिकारी का आदेश, time limit एवं गुणावगुण दोनों ही आधारों पर अपास्त किया जाता है।

13. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य

